



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2011 (ज्येष्ठ 7, 1933)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2011 (JYAISTHA 7, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बेंगलूर-560023, दिनांक 3 मार्च 2011

सं.-उ.चि.आ./द.म./ए./19-11-2006-कर्ना.-क.रा.बी. निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जैसा कि दिनांक 25.04.1951 इसकी सभा में निगम महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (नामान्य) अधिनियम 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह अधिकार. चिकित्सा आयुक्त. क.रा.बी. निगम, मुख्यालय नई दिल्ली को समसंख्यक फाईल संख्या पी.टी. फाईल यू.-13/12/13/2005 पी.टी. आर. (चिकि.-1) दिनांक 04.08.2008 के तहत सौंप दी गई तथा समसंख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली आदेश प्राप्त संख्या यू-13/12/13/2005-(चिकि.-1) पी.टी.एम.आर. दिनांक 09.09.2008 के तहत मुझे सौंप दी गई। मैं एतद्वारा नि. लि. डॉक्टर (डॉक्टरों) को चिकित्सा प्राधिकार के रूप में नि. लि. श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ जो निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक अथवा पूर्णकालिक समय तक चिकित्सा निदेशों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अधोहस्ताक्षरित द्वारा नियत नि. लि. केन्द्रों व क्षेत्रों के लिए, बोनाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण-पत्र

पारित करने (जब मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदेहजनक हो) के उद्देश्य से कार्य करेंगे।

नाम	अवधि		केन्द्र का नाम स्थान/जिला/राज्य
	से	तक (1 वर्ष)	
डॉ. के. आर. रामचन्द्र	03.03.2011	02.03.2012	मल्लेश्वरम
			बी. आर. कविशेट्टी राज्य चिकित्सा आयुक्त (कर्ना.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

हैदराबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2011

सं. अ.कं.आ./आं.का.(आं.प्र. एवं उड़ीसा)/जीएल-240ए/1(4) की अधिसूचना/2011/109--चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं :-

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1.	आंप्र/पयान/48261	मैसर्स श्रीवत्सा इंटरप्राइजेस, जिन्नारम मंडल आईडीए काजीपल्ली, मेंदक जिला	01.08.2006
2.	आंप्र/हैदरा/63280	मैसर्स परवासियो, इण्डिया प्रा. लि., एस. पी. रोड, सिकंदराबाद	13.08.2009
3.	आंप्र/हैदरा/63312	मैसर्स नंदन अल्फाकैट टेक्नोलॉजीज लि., बंजारा हिल्स, हैदराबाद	01.07.2009
4.	आंप्र/निजामा/52558	मैसर्स गोदावरी पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस, गोदावरी खनी, करीमनगर जिला	01.07.2006
5.	आंप्र/निजामा/52584	मैसर्स प्राईमरी एग्रीकल्चरल को. ऑप. सोसाइटी लि., शंकरपटनम, करीमनगर जिला	01.12.2006
6.	आंप्र/निजामा/52790	मैसर्स प्राईमरी एग्रीकल्चरल को. ऑप. सोसाइटी लि., हजूरबाद, करीमनगर जिला	01.10.2008

अतः अब कथित अधिनियम की धारा 1 के उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कथित अधिनियम के प्रावधानों को उपरोक्त उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के नाम के प्रति उल्लिखित तिथि से लागू करते हैं।

वी. पी. रामय्या
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त
आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली-01, दिनांक

शुद्धिपत्र

एफ. सं. 37-3/विधिक/अभातशित/2011--खंड 1 के उप खण्ड

1.1 पर लघु शीर्षक के अंतर्गत :-

“इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2010 कहा जायेगा”

दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित को इस प्रकार संशोधित माना जाए :-

“इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2011 कहा जायेगा”

एम. के. हाडा
सदस्य सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2011

सं. यू-1/6-5/2011--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (झ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1995 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 में आगे संशोधन करते हुये निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, यथा :-

- (I) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जायेगा।
- (II) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1995 की क्रम संख्या 6 में “शिक्षक वर्ग के लिये विहित अर्हता” शीर्षक के पश्चात् एवं “यूनानी तिब्बो महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के लिये अर्हताएं” शीर्षक के ऊपर जोड़ा जाएगा तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 की धारा 19 के अन्तर्गत टिप्पणी को प्रतिस्थापित करेगा।

टिप्पणी :- संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारी अभ्यर्थी को अनुपलब्धता में निम्नलिखित विषयों, जैसा कि उन विषयों के सामने उल्लिखित है, के अभ्यर्थी व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे :-

समवर्गी विषयों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं.	विषय	समवर्गी विषय
1.	कुलियात तिब्ब	--
2.	तशरीह-उल-बदन	इल्मुल जराहत
3.	मुनाफे-उल-अज़ा	कुलियात तिब्ब
4.	इल्मुल अदविया	--
5.	सैदला	इल्मुल अदविया
6.	इल्मुस समूम वा तिब्ब-ए-कानूनी	तहफ्फुजी वा समाजी तिब्ब/मुआलिजात/इल्मुल अदविया
7.	तहफ्फुजी वा समाजी तिब्ब	--
8.	मुआलिजात	--
9.	सरीरियात	मुआलिजात
10.	महियातुल अमराज	मुआलिजात/कुलियात तिब्ब
11.	इलाज बिल तदबीर	मुआलिजात/तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब
12.	अमराज जिल्द	मुआलिजात
13.	इल्मुल जराहत	--
14.	अमराज उज्ज, अनफ वा हलक	इल्मुल जराहत
15.	अमराज ऐन	इल्मुल जराहत
16.	इल्मुल अत्फाल	मुआलिजात/कबालात वा अमराजे निस्वान

क. प्रावधान शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिये जारी रहेगा।

ख. पिछले विनियमों के आधार पर पूर्व में जिन शिक्षकों को पात्र माना गया था, उन्हें संशोधन के आधार पर अपात्र नहीं माना जायेगा।

प्रेमराज शर्मा
निबन्धक-सह-सचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bangalore-560023, the 28th April 2011

No. DMC/SZ A/19/11/2006.KAR—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power delegated to the Medical Commissioner. E.S.I.C., Hqrs., New Delhi vide Director General Order File No. Pt. File U-13/12/13/2005-PTMR (Med.I) dated 04.08.2008 and further re-delegated to me vide Headquarters, ESIC, New Delhi Order File No. U-13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.2008. I hereby authorize the following doctor(s) to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till the date of attaining the age of 65 years or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them. When the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period		Name of the Centre
	From	To (1 Year)	
Dr K. R. Ramachandra	03.03.2011	02.03.2012	Malleswaram

B. R. KAVISHETTI
State Medical Commissioner (Kar.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Hyderabad, the 26th April 2011

No. ACC/ZO(AP&OR)/GL-240A/Notifn. of 1(4)/2011/109—S.O. ... Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage & Consent
1	2	3	4
1.	AP/PTC/48261	M/s. Sirivatsa Enterprises, Jinnaram Mandal, IDA Kazipally, Medak Distt.	01.08.2006
2	AP/HYD/63280	M/s. Pervacio India Pvt. Ltd., S.P. Road, Secunderabad.	13.08.2009
3.	AP/HYD/63312	M/s. Nandan Alpha Kat Technologies Ltd., Banjara Hills, Hyderabad	01.07.2009

1	2	3	4
4.	AP/NZB/52558	M/s. Godavari Pest Control Services, Godavarikani, Karimnagar Distt.	01.07.2006
5.	AP/NZB/52584	M/s. Primary Agricultural Co-op. Society Ltd., Shankarapatnam, Karimnagar Distt.	01.12.2006
6.	AP/NZB/52790	M/s. Primary Agricultural Co-op. Society Ltd., Huzurabad, Karimnagar Distt.	01.10.2008

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments with effect from the date mentioned against the name of the said establishments.

V. P. RAMAIAH
Addl. Central P. F. Commissioner
Andhra Pradesh & Orissa

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi-110001, the

CORRIGENDUM

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2011—Under the Short Title a Clause 1 Sub-Clause 1.1.

"These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2010"

Published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 4 dated 10th December, 2010 may be amended as :—

"These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Institutions) Regulation 2011"

M. K. HADA
Member Secy

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi, the 6th May 2011

No. U-1/6-5/2011—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (j) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Unani Medicine) (Amendment) Regulations, 1995 and "Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Education) Regulations', 2007 namely :—

1. (i) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of

Education in Indian Medicine) (Amendment) and Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Education) Amendment Regulations, 2011.

- (ii) These regulations shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. Under the heading of "Qualification Prescribed For Teaching Staff" and above the Heading of "Qualifications for the Post of Principal of Unani Tibbi College" as mentioned Sr. No. 6 of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Unani Medicine) (Amendment) Regulations, 1995 the same shall be added and shall also substitute the Note under Section 19 of "Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Education) Regulations', 2007 :—

Note :—In absence of the candidate of the Post-Graduate qualification in concern subject, the candidate of the following subjects as mentioned against them shall be eligible for the post of Lecturer/Asstt. Profesor :—

The details of the Allied Subjects are as follows :—

Sl. No.	Subject	Allied Subjects
1	2	3
1.	Kulliyate Tib	—
2.	Tashreehul Badan	Ilmul Jarahat
3.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
4.	Ilmul Advia	—

1	2	3
5.	Saidla	Ilmul Advia
6.	Ilmus Samoom wa Tibbe Qanooni	Tahaffuzi wa Samaji Tib/ Moalajat/Ilmul Advia
7.	Tahaffuzi wa Samaji Tibb	—
8.	Moalajat	—
9.	Sareeriyat	Moalajat
10.	Mahiyatul Amraz	Moalajat/Kulliyate Tib
11.	Ilaj Bil Tadabeer	Moalajat/Tahaffuzi wa Samaji Tib
12.	Amraze Jild	Moalajat
13.	Ilmul Jarahat	—
14.	Amraze Uzn, Anf wa Halaq	Ilmul Jarahat
15.	Amraze Ain	Ilmul Jarahat
16.	Ilmul Atfal	Moalajat/Qabalat wa Amraze Niswan

- a. The provision shall continue for five (5) years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- b. The teacher(s) who had considered eligible in the past on the basis of previous Regulations shall not be considered ineligible on the basis of amendment.

P. R. SHARMA
Registrar-Cum-Secy.